

9

मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल

क्रमांक 2009 /ई.एम/1/96

भोपाल दिनांक 12-4-96

प्रति,

अति.गृह निर्माण आयुक्त,

म.प्र. गृह निर्माण मण्डल,

प्रक्षेत्र-इन्दौर/भोपाल/जबलपुर/रायपुर,

विषय :- प्रकोष्ठ भवनों में भूतल के आवंटियों को अतिरिक्त भूमि के आवंटन बाबत।

X

प्रायः यह देखा गया है प्रकोष्ठ भवनों से लगी हुई अतिरिक्त भूमि का आवंटन भूतल के आवंटियों को किया जा रहा है। यह उचित नहीं है प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम के अनुसार जो भूमि आगे पीछे एवं आजू बाजू में छोड़ी जाती है वह एम.ओ.एस. के तहत छोड़ी जाती है एवं इस प्रकार की भूमि कामन सर्विसेज के अन्तर्गत आती है अतः इस प्रकार की एम.ओ.एस. के तहत छोड़ी गई भूमि का अतिरिक्त भूमि के रूप में भूतल के प्रकोष्ठ स्वामियों को न किया जावे, केवल भूतल के स्वामियों को प्रकोष्ठ में प्रवेश हेतु जितनी भूमि की आवश्यकता हो एवं उसमें अन्य प्रकोष्ठ स्वामियों का दखल न हो वह भूमि प्रकोष्ठ के आवंटन के साथ ही आवंटित की जा सकती है

इस परिपत्र का पालन कठोरता से किया जावे।

हस्ता.

(आर.टाण्डेकर)

गृह निर्माण आयुक्त

म.प्र. गृह निर्माण मण्डल, भोपाल